न्यायालयः ग्राम न्यायालय, नवलगढ़, जिला झुन्झुनू (राज०)

पीठासीन अधिकारी – सुमन चौधरी (आर.जे.एस.)

नियमित आपराधिक प्रकरण सख्या – 299/2021

सीआईएस रजिस्ट्रेशन संख्या – 239/2021

सी०एन०आर० नंबर – RJJH140005802021

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 443/2021, नवलगढ़

अपराध अंतर्गत धारा – 279, 338 भा.द.स.

भाग–प्रथम

A

परिवादी	श्री रघुवीर सिंह
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी श्री विकास शर्मा
अभियुक्त का नाम व पता	पंकज कुमार पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद, उम्र 23 वर्ष, निवासी बीदसर, पुलिस थाना बलारां, जिला सीकर, राजस्थान।
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री सुनिल जाखड़
अधिवक्ता परिवादी	–––––

B

अपराध की दिनांक	30–08–2021
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	30–08–2021
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	18–12–2021
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	18–12–2021
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	19–02–2022
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	–––––––
निर्णय दिनांक	02–04–2026
दण्डादेश की दिनांक	–––––––

C

अभियुक्त का विवरण

क्र.	अभियुक्त	गिरफ्तारी	जमानत	अपराध अंतर्गत	दोषमुक्त	पारित	धारा–428 जाब्ता फौजदारी

सं.	का नाम	की दिनांक	पर रिहा होने की दिनांक	धारा	अथवा दोषसिद्ध	दण्डादेश	के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
1.	पंकज कुमार	------	------	279, 338 भा.द.स.	दोषमुक्त	-------	--------------

भाग–द्वितीय

अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी.डब्ल्यू 1	जितेंद्र	फर्द निरीक्षण व सुपुदर्गी रोडवेज बस
पी.डब्ल्यू 2	रघुवीर सिंह	परिवादी
पी.डब्ल्यू 3	राकेश कुमार	नक्शा मौका गवाह
पी.डब्ल्यू 4	सुनिता कुमारी	नक्शा मौका गवाह व नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट
पी.डब्ल्यू 4	रामरतन	नक्शा मौका गवाह व नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट
पी.डब्ल्यू 5	नितेश	बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू 6	डॉ. जितेंद्र कुमार	चिकित्सीय गवाह
पी.डब्ल्यू 7	मनोज सैनी	बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू 8	महेश यादव	रेडियोग्राफर
पी.डब्ल्यू 9	संजय कुमार	जप्ती मूल कागजात दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल
पी.डब्ल्यू 10	डॉ. राजेश कुमार	चिकित्सीय गवाह
पी.डब्ल्यू 11	सुनील कुमार	पुलिस गवाह
पी.डब्ल्यू 12	ताराचंद	पुलिस गवाह

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)

--	--	--

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)

<u>अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श</u>

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	प्रदर्श पी.01	फर्द निरीक्षण व सुपुर्दगी डीपो रोडवेज बस नंबर आरजे 11 पीए 1841
02	प्रदर्श पी.02	तहरीर रिपोर्ट
03	प्रदर्श पी.03	चाक एफ.आई.आर.
04	प्रदर्श पी.04	नक्शा मौका घटनास्थल
05	प्रदर्श पी.05	फर्द जप्ती दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल हीरो स्पलेंडर प्लस नंबर आरजे 18 एसडब्ल्यू 9801
06	प्रदर्श पी.06	फर्द जप्ती मूल कागजात दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल हीरो स्पलेंडर प्लस नंबर आरजे 18 एसडब्ल्यू 9801
07	प्रदर्श पी.07	नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट
08	प्रदर्श पी.08	बयान धारा 161 सीआरपीसी नितेश सैनी
09	प्रदर्श पी.09	चोट प्रतिवेदन पंकज
10	प्रदर्श पी.10	चोट प्रतिवेदन प्रपत्र मनोज
11	प्रदर्श पी.11	एक्सरे रिपोर्ट मनोज
12	प्रदर्श पी.12	एक्सरे रिपोर्ट मनोज
13	प्रदर्श पी.13	एक्सरे रिपोर्ट मनोज
14	प्रदर्श पी.14	एक्सरे रिपोर्ट मनोज
15	प्रदर्श पी.15	एक्सरे रिपोर्ट मनोज
16	प्रदर्श पी.16	बयान धारा 161 सीआरपीसी मनोज कुमार

17	प्रदर्श पी.17	एक्सरे रिपोर्ट मनोज
18	प्रदर्श पी.18	एक्सरे रिपोर्ट मनोज
19	प्रदर्श पी.19	एक्सरे रिपोर्ट मनोज
20	प्रदर्श पी.20	डिस्चार्ज सम्मरी श्री हरि हॉस्पीटल
21	प्रदर्श पी.21	कैश रिसीप्ट श्री हरि हॉस्पीटल
22	प्रदर्श पी.22	मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
	––	

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
	––	

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
	––	

01. संक्षेप में अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि दिनांक 30–08–2021 को परिवादी श्री रघुवीर सिंह निवासी नुनिया गोठड़ा ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह रघुवीर सिंह पुत्र श्री भगवान राम निवासी नूनिया गोठड़ा तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं हाल चालक रा.रा.प.प. निगम झुंझुनूं आगार उसकी डयूटी आज दिनांक 30–08–2021 को झुंझुनूं से सीकर मार्ग पर 07–15 बजे की थी जो कि निर्धारित समय 08.00 के लगभग नवलगढ़ स्टैंड के अंदर जाने के लिए धीमी गति से बस घूमा रहा था। जिसके पीछे से दो बाइक सवार पंकज कुमार व मनोज कुमार आरजे 18 एसडब्ल्यू 9801 तेज गति से आयी और टकरा गयी। जिसके कारण उसके वाहन को नवलगढ़ ही रोका गया। जिससे आगे के संपूर्ण कि.मी. निरस्त रहे। निवेदन है कि एफ.आई.आर. दर्ज कर उचित कार्यवाही करें, इत्यादि......।" उक्त आशय की तहरीर रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज

रजिस्टर किया गया।

02. न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 279, 338 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप सारांश मौखिक रूप से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने जुर्म से इंकार कर अन्वीक्षा चाही। जिस पर अभियोजन साक्ष्य को तलब किया गया।

03. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए पृष्ठ संख्या–02 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहान के बयान करवाये गये व पृष्ठ संख्या–03 व 04 पर भाग 'अ' में वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

04. अभियुक्त के कथन अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना, उसके विरूद्ध झुठा मुकदमा दर्ज करवाया जाना बताया व साक्ष्य सफाई प्रस्तुत करने से इन्कार किया गया।

05. दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन मामला अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे साबित हाने के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सजायाब किये जाने का निवेदन किया।

06. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा उक्त तर्कों का विरोध करते हुये यह तर्क दिया कि तहरीर रिपोर्ट में वाहन चालक का नाम अंकित नहीं है, गवाहान के कथनों में गंभीर विरोधाभास है। प्रकरण में वाहन व वाहन चालक की पहचान, वाहन की तेज गति व लापरवाही प्रमाणित नहीं हो पाई है। अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया।

07. बहस उभय पक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारण हेतु निम्न अवधारणीय बिन्दु विरचित किये जाते है–

01– आया अभियुक्त ने दिनांक 30–08–2021 को समय 08.00 बजे सुबह या उसके लगभग नवलगढ़ से झुंझुंनूं जाने वाली आम सड़क पर बस डिपो के सामने वाहन मोटरसाइकिल पंजीयन नंबर आरजे 18 एस डब्ल्यू 9801 पर सवार होकर उसको उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित किया तथा रोडवेज बस संख्या आरजे 11 पीए 1841 के टक्कर मारकर दुर्घटना कारित कर दी। जिससे इस दुर्घटना में मनोज कुमार के घोर उपहति कारित हुई?

02– यदि हां, तो उसका उचित दण्ड क्या होगा ?

08. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (आगे **अधिनियम, 1872** से उल्लेखित) की धारा 102 के प्रावधानानुसार, उक्त विचारणीय बिन्दू को साबित करने का भारी अभियोजन पर है। आपराधिक विधि के मुख्य्य सिद्धांत "Presumption of innocence" के कारण अभियोजन को अपना प्रकरण अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे साबित करना होता है।

09– प्रकरण में परिवादी की मुख्य्य परीक्षा की साक्ष्य पर गौर करे तो **पी०डब्ल्यू–01 जितेंद्र** ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 01–09–2021 को उसके सामने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम झुंझुनूं आगार की रोडवेज बस नंबर आरजे 11 पीए 1841 का फर्द निरीक्षण व सुपुर्दगी उसके सामने पुलिस ने बनायी थी। जो प्रदर्श पी 01 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। आगे **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि वह उस दिन रोडवेज डिपो में आया था। उस दिन पुलिस वालों ने रोडवेज बस स्टैंड का ही निरीक्षण किया थां यह सही है कि रोडवेज बस का एक्सीडेंट उसके सामने नहीं हुआ था। निरीक्षण उसके सामने हुए था। यह कहना सही है कि यदि पुलिस वालों ने उसको निरीक्षण करने बाबत किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया। यह सही है कि रोडवेज बस के ईंजन नंबर व चेचीस नंबर उसे याद नहीं है। यह कहना सही है कि रोडवेज बस का उसने रजिस्ट्रेशन नहीं देखा। इसलिए वह नहीं बता सकता कि रजिस्ट्रेशन किस के नाम था। यह कहना सही है कि रोडवेज का एक्सीडेंट पहले हुआ हो वह यह नहीं बता सकता। यह सही है कि रोडवेज बस डिपो पर भीड–भाड़ कम ही रहती है।

10– इस संबंध में गवाह **पी०डब्ल्यू–02 रघुवीर सिंह** अपने मुख्य्य परीक्षण की सशपथ साक्ष्य में कथन करता है कि उसकी झुंझुनूं से सीकर चलने वाली रोडवेज बस आरजे 11 पीए 1841 पर चालक के तौर पर डयूटी थी। उस समय परिचालक के पद पर सुनिता पदस्थापित थी। दिनांक 30–08–2021 की बात है। उस दिन वे झुंझुनूं से सीकर जा रहे थे। उस समय उस मार्ग पर झुंझुनूं से सवा सात बजे सुबह रवाना होकर चला था। उसके साथ परिचालक श्रीमती सुनिता देवी भी थी। उस बा को लेकर वे आठ बजे निर्धारित समय पर नवलगढ़ बस स्टैंड के अंदर जाने के लिए हाथ का ईशारा किया व गाड़ी को धीरे से बस स्टैंड के अंदर की तरफ घूमा रहा था एवं उस समय इंटीगेटर भी दे रखा था। उसी समय नवलगढत्र घूमचक्कर की तरफ से एक मोटरसाइकिल आरजे 18 एसडब्ल्यू 9801 जिस पर दो व्यक्ति सवार थे। उन्होंने तेज गति से आकर उनकी गाड़ी के परिचालक साइड में पिछले छोर पर टक्कर मारी, जिससे एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट से उनकी बस में मोच आ गयी। मोटरसाइकिल सवाल व उसके पीछे वाला व्यक्ति वहीं सड़क किनारे गिर गये। फिर उसने और सुनिता ने बस से उतरकर मोटरसाइकिल वालों से नाम पता पूछा तो मोटरसाइकिल चालक ने अपना नाम

पंकज बताया जो बीदासर का था एवं उसके पीछे बैठे व्यक्ति व्यक्ति का नाम मनोज था। उक्त टक्कर से दोनों व्यक्तियों के शरीर पर चोटें भी लगी थी। उसके बाद पीछे से एक और गाड़ी आयी गाड़ी चालक का नाम नितेश सैनी था। वह भी मौके पर आ गया और फिर नितेश सैनी उन दोनों मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों को अपनी एल्टो कार में हरि हॉस्पीटल नवलगढ़ लेकर चला गया। एक्सीडेंट मोटरसाइकिल चालक पंकज की लापरवाही से हुआ था। पंकज तेज गति से वाहन को चलाते हुए आ रहा था एवं पीछे से उनको टक्कर मारी थी। पंकज कुमार को वह आज पहचानता है एवं आज न्यायालय में उपस्थित हो तो पहचान सकता है। उसने इस घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नवलगढ़ में पेश की थी जो प्रदर्श पी 02 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 03 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसके सामने पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था, जो प्रदर्श पी 04 है। जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। आगे अपनी **प्रतिपरीक्षा** में कथन करता है कि यह कहना सही है कि वह झुंझुनूं की तरफ से बस लेकर आ रहा था। यह कहना सही है कि उसकी बस के पीछे से टक्कर नहीं मारी, अजखुद कहा कि कंडेक्टर साइड के पिछले छोर पर टक्कर मारी थी। उसने इंडीगेटर का ईशारा लगभग सौ मीटर की दूरी से ही कर दिया था। यह कहना सही है कि रिपोर्ट प्रदर्श पी 02 में रोडवेज को बस डीपो के अंदर जाने के लिए हाथ का ईशारा व इंडीगेटर दिया हो। यह कहना सही है कि रिपोर्ट प्रदर्श पी 02 पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। सिर्फ पता ही अंकित है। यह कहना सही है कि सड़क के बीच में डिवाईडर है एवं मोटरसाइकिल आरजे 18 एसएम 9801 सीकर की तरफ से आ रही थी। यह कहना सही है कि दुर्घटना सड़क के किनारे ही हुयी थी। यह कहना सही है कि गाड़ी के इंटरलोक पर चढ गयी थी एवं बस का पिछला किनारा सड़क पर ही था। यह कहना सही है कि बस डिपो के बाहर खूब टैक्सियां खड़ी रहती हैं। यह कहना सही है कि गाड़ी को धीरे किया तब एक्सीडेंट हुआ था।

11– उक्त गवाहान के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह **पी०डब्ल्यू–03 राकेश कुमार** कथन करता है कि उसके सामनु पुलिस ने दिनांक 01–09–2021 को घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था, जो बस स्टैंड नवलगढ़ के सामने का था, जो प्रदर्श पी 04 है, जिस पर सी से डी उसके गवाह के रूप हस्ताक्षर है। परंतु आगे **प्रतिपरीक्षा** में कथन करता है कि एक्सीडेंट 30–08–2021 को हुआ था। नक्शा मौका बस स्टैंड के सामने बनाया था। एक्सीडेंट होने के दो दिन बाद नक्शा मौका बनाया गया था। पुलिस ने उसके खाली कागज पर हस्ताक्षर नहीं करवाये थे। यह सही है कि रोडवेज बस स्टैंड मुख्य सड़क से अथूनी दिशा में है। नक्शा मौका बनाया तब उसके अलावा दो अन्य व्यक्ति भी थे।

12– उक्त गवाहान के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह **पी०डब्ल्यू–04**

सुनिता कुमारी भी स्वीकार करती है कि वह राजस्थान राज्य पथ परिवहन झुंझुनू में परिचालक के पद पर कार्यरत है। दिनांक 30.08.2021 को मैं रोडवेज बस जिसके नम्बर आर जे 11 पी ए 1841 पर परिचालक के पद पर ड्यूटी पर थी। उक्त बस पर चालक रघुवीर सिंह थे। उक्त बस का रूट झुंझुनू से सीकर था। दिनांक 30.08.2021 को सुबह 7.15 बजे झुंझुनू बस डिपो से हम लोग निकले। जब 8 बजे नवलगढ़ डिपो के पास पहुँची तब बस के चालक ने अपनी बस को धीमी गति तथा दांहिने हाथ से इशारा करते हुए इंडीकेटर देकर बस को मुडाया। बस डिपो की तरफ सडक से मैने सडक से उतर गयी थी बस का पिछला हिस्सा ही सड़क पर था। तभी सीकर की तरफ से एक स्पेलेन्डर मोटर साइकिल जिसके नम्बर आर जे 18 एस डब्लू 9801 था, जिस पर दो व्यक्ति सवार थे। मोटरसाइकिल तेज गति से आ रही थी। मोटरसाइकिल चालक पंकज व मनोज पीछे बैठा था तथा अपनी मोटरसाइकिल को परिचालक की तरफ अपनी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। उससे मोटरसाइकिल वाले गिर गये। बस चालक ने अपनी बस को डिपो में खडी किया। वह और चालक दोनों मोटरसाइकिल वाले के पास गये। पंकज के बायं हाथ की कोहनी तथा बांये पैर की अंगुलियों व घुटने पर चोट थी। मनोज के बायं जांघ, बायं पैर की नली पर चोट थी। उक्त दुर्घटना मोटरसाइकिल चालक पंकज की गलती व लापरवाही से हुई। उसके सामने दिनांक 01.09.2021 को हमारी रोडवेज बस आर जे 11 पी ए 1841 की फर्द निरीक्षण व सुपुर्दगी तैयार की थी जो प्रदर्श पी 01 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। हमारी बस का वाहन लोग पत्र व उसी दिन का परिचालक का ड्यूटी चार्ज व चालक का ड्यूटी चार्ज, उसका परिचालक की ड्यूटी का नियुक्ति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियां सलंग्न पत्रावली है। आगे **प्रतिपरीक्षा** में कथन करती है कि जब घटना हुयी थी तब वह 12 नंबर सीट पर बैठी थी। यह सही है कि जब बस को घुमाया था तब बस के चालक ने इंडिकेटर व हाथ दोनों दिए थे। उस दिन बस में 30–35 सवारी थी। उसमें किसी के बयान नहीं हुए। बस चालक रघुवीर जी थे। यह सही है कि उसके व किसी भी सवारी के चोट नहीं आयी। यह सही है कि पंकज व मनोज के चोट आयी थी। जब वह बस में बैठी थी तब बस को अंदर लेने के लिए उसने भी इशारा किया था। यह सही है कि हाथ दांया व बांया देने का ड्राइवर का काम होता है। यह सही है कि बस चालक हाथ देता है और साधन सीकर से आता है तो उसे न तो हाथ व न ही इंडीकेटर दिखायी देता है। यह सही है कि बस डिपो के सामने दो पाईप लाईन के गडडे हैं। यह सही है कि बस डिपो के सामने भीड़ भाड़ का इलाका है। इसलिए साधन तेज नहीं चल सकते हैं। एक्सीडेंट हुआ था तब मोटरसाइकिल वालों के नाम बस चालक ने पूछा था। मोटरसाइकिल काले कलर की थी।

13– उक्त गवाहान के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह **पी०डब्ल्यू–04**

रामरतन भी स्वीकार करता है कि उसके सामने पुलिस ने कोई नक्शा मौका नहीं बनाया अर्थात वह हस्तगत प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुआ है।

14– उक्त गवाहान के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह **पी०डब्ल्यू–05 नितेश** भी स्वीकार करता है कि उसके किसी प्रकार का एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा अर्थात वह हस्तगत प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुआ है।

15– उक्त गवाहान के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह **पी०डब्ल्यू–06 डॉ. जितेंद्र कुमार** भी स्वीकार करता है कि वह दिनांक 09.09.2021 को जिला चिकित्सालय नवलगढ में मेडिकल ज्युरिष्ठ के पद पर पदस्थापित था। उस रोज उसने आहत पंकज कुमार पुत्र राजेन्द्र के शरीर पर आई चोटों का चोट प्रतिवेदन तैयार किया था, आहत के निम्न चोट थी। चोट संख्या 01 बायं हाथ की कोहनी से नीचे पर प्लास्टर बंधा हुआ था। चोट संख्या 02 बायं पैर के घुटने से नीचे प्लास्टर बंधा हुआ था। चोट संख्या 01 व 02 के लिए उसने एक्स–रे की राय दी थी। एक्स–रे के अवलोकन के पश्चात दोनों चोटें साधारण प्रकृति की थी। जो प्रदर्श पी 09 है, जिस पर ए से बी आहत का पहचान चिह्न व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसी रोज उसने आहत मनोज कुमार पुत्र गणेशराम पर आई चोटों का चोट प्रतिवेदन तैयार किया था। आहत मनोज के निम्न चोटें थे। चोट संख्या 01 बायं पैर पर प्लॉस्टर बंधा हुआ था। चोट संख्या 01 के लिए उसने एक्स–रे की राय दी थी। एक्स–रे के अवलोकन के पश्चात आहत की चोट गंभीर प्रकृति की थी। जो प्रदर्श पी 10 है, जिस पर ए से बी आहत का पहचान चिह्न व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। पंकज की एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्ष पी 11 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है और सी से डी उसकी राय है। मनोज की एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श पी 12 है, जिस पर ए से बी उसकी राय व सी से डी उसके हस्ताक्षर है, ई से एफ पंकज का पहचान चिह्न है। एक्स–रे प्लेट्स प्रदर्श पी 13 लगायत 15 है। जिन पर भी ए से भी उसके हस्ताक्षर है। परंतु आगे **प्रतिपरीक्षा** में कथन करता है कि उसने आहत मनोज और पंकज का आधार कार्ड नहीं लिया था। पंकज की एक्सरे प्लेट साधारण प्रकृति की थी।

16– उक्त गवाहान के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह **पी०डब्ल्यू–07 मनोज सैनी** स्वीकार करता है कि पंकज की गलती व लापरवाही से एक्सीडेंट नहीं हुआ था अर्थात वह हस्तगत प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुआ है।

17– उक्त गवाहान के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह **पी०डब्ल्यू–08 महेश कुमार यादव** भी स्वीकार करता है कि वह दिनांक 09.09.2021 को राजकीय चिकित्सालय नवलगढ़ अस्पताल में रेडियोग्राफर के पद पर पदस्थापित था। उस दिन उसने जितेन्द्र कुमार की उपस्थिति व दिशा निर्देशन में आहत मनोज कुमार पुत्र गणेश कुमार की चोट प्रतिवेदन की

चोट संख्या 01 के लिए तीन एक्स–रे प्लेट्स तैयार की थी। जो बायं जांघ, बायं टांग और बायं पैर की थी। एक्स–रे प्लेट प्रदर्श पी 13 लगायत पी 15 है। जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसी रोज उसने प्रकरण में आहत पंकज कुमार की चोट प्रतिवेदन की चोट संख्या 01 व 02 के लिए डॉ. जितेन्द्र कुमार की उपस्थिति एवं दिशा निर्देशन में तीन एक्स–रे प्लेट्स तैयार की थी। जो बांय हाथ के अग्र भुजा, बांय पैर और बांय टांग की थी। एक्स–रे प्लेट्स प्रदर्श पी 17 लगायत पी 19 है, जिन पर ए से बी गवाह के हस्ताक्षर है। आगे **प्रतिपरीक्षा** में कथन करता है कि यह सही है कि उसने डॉ. जितेंद्र की राय व उपस्थिति एवं दिशा–निर्देशन में एक्सरे प्लेटस तैयार की थी। वह यह नहीं बता सकता कि आहत के कोई हडडी फ्रैक्चर थी या नहीं।

18– उक्त गवाहान के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष का अन्य **गवाह पी०डब्ल्यू–09 संजय कुमार** भी स्वीकार करता है कि वह दिनांक 30.10.2021 को पुलिस थाना नवलगढ में कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित था। उस रोज प्रकरण संख्या 443/2021 अपराध अन्तर्गत धार 279, 337, 338 आईपीसी में अनुसंधान अधिकारी श्री प्रदीप कुमार एएसआई ने मेरे सामने एक मोटरसाइकिल हीरो स्पलेन्डर प्लस जिसके नम्बर आर जे 18 एस डबलू 9801 को जरिये फर्द जप्त किया था, जिसकी फर्द जप्ती गवाह के सामने तैयार हुई थी, जो प्रदर्श पी 05 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसी रोज उक्त वाहन के मूलकागजात,आरसी, इंश्योरेंश, डीएल चालक पंकज का उसके सामने जप्त किया था, जिसकी फर्द जप्ती उसके सामने तैयार हुई थी, जो प्रदर्श पी 06 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। परंतु आगे **प्रतिपरीक्षा** में कथन करता है कि यह सही है कि फर्द जप्ती प्रदीप कुमार एएसआई ने बनायी थी। फर्द जप्ती दिनांक 30–10–2021 को बनायी थी। आरसी का मालिक रामरतन था। मोटरसाइकिल का वाईजर, हैडलाईट और इंडीकेटर टूटा हुआ था। मोटरसाइकिल के इश्योरेंश, डीएल को उसके सामने जप्त किए थे लेकिन उसने उनको नहीं पढ़ा था। यह सही है कि फर्द जप्ती उसके सामने बनायी थी। फर्द जपती पर उसके अलावा गिर्रराज कांस्टेबल, रामरतन व जप्ती अधिकारी के हस्ताक्षर हैं।

19– उक्त गवाहान के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह **पी०डब्ल्यू–10 डॉ. राजेश कुमार** भी स्वीकार करता है कि वह दिनांक 28.03.2023 को राजकीय चिकित्सालय नवलगढ में मेडिकल ज्यूरिष्ठ के पद पर पदस्थापित था। उस रोज उसने पुलिस प्रतिवेदन पर आहत जितेन्द्र सोनी पुत्र नानु राम निवासी वसन्त बिहार सीकर की चोटों का चोट प्रतिवेदन तैयार किया। निम्न चोट है–1. बांयी पसलियों पर दर्द की शिकायत नीचे की ओर 7 गुणा 3 सेमी परिधि के भीतर उसने चोट संख्या एक के लिए एक्सरे ओपिनियन को रिर्जव रखा था। आहत का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 07 है। जिस पर ए से बी आहत का पहचान चिन्ह व सी से

डी उसके हस्ताक्षर है। आहत ने अपनी उक्त चोट रोड एक्सीडेंट में आना बताया। उसकी उपस्थिति व दिशा निर्देशन में दिनांक 01.04.2023 को रेडिग्राफर चिरंजी लाल द्वारा आहत की चोट संख्या 1 के लिए एक एक्सरे प्लेट तैयार की। जो प्रदर्श पी 08 है। उक्त एक्सरे प्लेट अवलोकन के पश्चात उसने आहत की एक्सरे रिपोर्ट तैयार की जो प्रदर्श पी 09 है। जिस पर ए से बी उसकी एक्सरे रिपोर्ट व सी से डी चोट के सम्बन्ध उसकी राय व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। उसकी राय में आहत की चोट गंभीर प्रकृति की थी। परंतु आगे **प्रतिपरीक्षा** में यह कथन करता है कि मनोज व पंकज इलाज के लिए उनके अस्पताल में एक साथ ही आये थे। मनोज उसके अस्पताल में नौ दिन तक एडमिट रहा। पंकज को एक दिन एडमिट रख कर डिस्चार्ज कर दिया। दिनांक 30–08–2021 को आहतगण पंकज व मनोज किस समय अस्पताल में भर्ती हुए आज उसे याद नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 20 व 21 आहतगण मनोज व पंकज के दवाई व इलाज के बिल हैं।

20– उक्त गवाहान के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह **पी०डब्ल्यू–11 सुनील कुमार** भी स्वीकार करता है कि वह दिनांक 30.10.2021 को पुलिस थाना नवलगढ में पुलिस कांस्टेबल चालक के पद पर पदस्थापित था। उस रोज उसने मुकदमा नम्बर 443/21 अपराध अन्तर्गत धारा 279, 338 आईपीसी में जप्तशूदा मोटरसाईकिल नम्बर आर जे 18 एस डब्लयू 9801 का मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट तैयार की थी। जो प्रदर्श पी 22 है, जिस पर ए से बी उसकी रिपोर्ट तथा सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मोटरसाईकिल के आगे की नम्बर प्लेट, वाईजर, हेड लाईट, दोनों इन्डीक्टेर, मडगाड और लेगार्ड व स्टेरियरिंग मुचा था तथा दोनों तरफ के साईड ग्लॉस नहीं थे। क्लेच व ब्रेक वॉयर टूटे हुए थे। मोटरसाइकिल को चलाकर चैक नहीं किया जा सकता था। आगे **प्रतिपरीक्षा** में कथन करता है कि यह सही है कि उसने एमटीओ का कॉर्स कर रखा है। यह सही है कि उसने उसका एमटीओ का प्रमाण पत्र पत्रावली में पेश नहीं किया। रिपोर्ट दिनांक 30–10–2021 को बनायी थी। प्रदर्श पी 22 उसके द्वारा बनायी गयी है। यह सही है मोटरसाइकिल चलने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए मोटरसाइकिल को चलाकर नहीं देखा गया।

21– उक्त गवाहान के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष का अन्य गवाह **पी०डब्ल्यू–12 गिरीराज** भी स्वीकार करता है कि वह दिनांक 30.10.2021 को पुलिस थाना नवलगढ में कानि. के पद पर तैनात था उस रोज उसके सामने मुं. नं. 443/21 में प्रदीप कुमार एएसआई ने एक मोटरसाईकिल नम्बर आर जे 18 एस डबल्यू 9801 व उसके मूल कागजात को जप्त किया, फर्द जप्ती मोटरसाइकिल प्रदर्श पी 05 व फर्द जप्ती कागजात प्रदर्श पी 06 है, जिन पर ई से एफ गवाह के हस्ताक्षर है। आगे **प्रतिपरीक्षा** में कथन करता है कि घटनास्थल से

मोटरसाइकिल पुलिस थाने में लेकर आये थे। मोटरसाइकिल को घटना के दो माह बाद जप्त किया गया। मोटरसाइकिल हीरो डिलक्स कंपनी की थी। जिसका नीला रंग था। बंद हालत में थी। मोटरसाइकिल की जप्ती 30–10–2021 को बनायी गयी थी। उस समय उसके साथ संजय सीटी 242 व मोटरसाइकिल का मालिक था। जब वाहन का कागजात चैक किया तब मोटरसाइकिल की आरसी रामरतन निवाई के नाम थी। वाहन के कागजात में केवल आरसी जप्त की थी। मोटरसाइकिल में इंजन व चेचिस का नंबर उसे याद नहीं है। वाहन के कागजात 05 बजे व वाहन 05.15 बजे जप्त किया गया। कागजात जप्ती के समय वह संजय अनुसंधानधिकारी व वाहन मालिक थे। फर्द देखकर कहा कि एक्स पी 06 पर ए से बी वाहन मालिक के हस्ताक्षर हैं।

22– हस्तगत प्रकरण में न्यायालय के समक्ष प्रथम बिन्दू यह है कि क्या सुसंगत दिवस को, सुसंगत समय व स्थान पर आरोपी पंकज प्रश्नगत वाहन आर**.**जे**. 18** एस.डब्ल्यू**. 9801** का चालक था? जैसा कि **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा संग्राम सिंह बनाम राजस्थान राज्य–आर.एल.आर. 1990(2) राज. हाईकोर्ट पेज नं.–726** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन को सर्वप्रथम यह तथ्य सिद्ध करना होता है कि दुर्घटना के समय संबंधित वाहन अभियुक्त द्वारा चलाया जा रहा था, तत्पश्चात ही यह प्रश्न उठता है कि क्या अभियुक्त दुर्घटना के समय वाहन को उतावलेपन व उपेक्षापूर्ण तरीके से चला रहा था। उक्त बिन्दू के लिए सर्वप्रथम परिवादी द्वारा प्रस्तुत तहरीर रिपोर्ट पर गौर करें तो हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 12 गवाह परीक्षित हुए हैं। गवाह पीडब्ल्यू 02 रघुवीर सिंह व पीडब्ल्यू 04 सुनिता कुमारी हस्तगत प्रकरण में चश्मदीद साक्षी हैं। गवाह पीडब्ल्यू 02 ने दौराने मुख्य परीक्षा कथन किया है कि वह झुंझुनूं से सीकर चलने वाली रोडवेज बस आरजे 11 पीए 1841 पर चालक के तौर पर डूयटी पर था। उस दिन वे झुंझुनूं से सीकर की तरफ जा रहे थे। उसी समय नवलगढ़ घूमचक्कर की तरफ से एक मोटरसाइकिल आर.जे. 18 एस.डब्ल्यू. 9801 जिस पर दो व्यक्ति सवार थे। उन्होंने तेज गति से आकर पीछे से आकर उनकी बस को टक्कर मारी जिससे उनकी बस में मोच आ गयी। आगे गवाह ने दौराने जिरह कथन किया है कि यह कहना सही है कि उसकी बस के पीछे से टक्कर नहीं मारी, कंडेक्टर साईड के पिछले छोर पर टक्कर मारी थी। हस्तगत प्रकरण में उपरोक्त गवाह की साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि मात्र टक्कर लगने से यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्त अपनी मोटरसाइकिल को उपेक्षा व लापरवाही से चला रहा हो। इसके अतिरिक्त गवाह पीडब्ल्यू 04 सुनिता कुमारी है जिसने दौराने जिरह कथन किया है कि यह सही है कि पंकज व मनोज के चोट आयी थी, परंतु आगे गवाह कथन करती है कि वह बस चालक को बचाने के लिए बयान देने आयी है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में पीडब्ल्यू 02 व पीडब्ल्यू 04 हितबद्ध साक्षी हैं। दोनों ही गवाहान ने एक-दूसरे के कथनों की ताईद की है। इसके अतिरिक्त गवाह पीडब्ल्यू 04, 05 व 07 हस्तगत प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुए हैं तथा अन्य

गवाहान हस्तगत प्रकरण में औपचारिक गवाहान हैं। इस प्रकार पीडब्ल्यू 04 ने पीडब्ल्यू 02 को बचाने के आशय से बयान दिए हैं। अन्य किसी स्वतंत्र गवाह की साक्ष्य द्वारा परिवादी के कथनों की ताईद नहीं हुई है तथा परिवादी की साक्ष्य इसलिए विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती क्योंकि परिवादी स्वयं बस को चला रहा था व बस को मोड़ रहा था। बस को मोड़ते वक्त उसके द्वारा अभियुक्त की मोटरसाइकिल को चलते हुए देखना असंभव है, क्योंकि बस के पीछे के छोर से अभियुक्त की मोटरसाइकिल टकरायी थी। उपरोक्त आधारों पर हस्तगत प्रकरण में परीक्षित गवाहान की साक्ष्य संदेहास्पद होने से विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है। इस प्रकार उपरोक्त गवाहान की साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा मोटरसाइकिल को लापरवाही व तेजगति से चलाकर बस में टक्कर मारना साबित नहीं होता है। अतः अभियोजन पक्ष अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। इस प्रकार स्वयं परिवादी की तहरीरी रिपोर्ट व स्वयं गवाह की साक्ष्य से यह साबित नहीं होता है कि बरवक्त घटना के चालक अभियुक्त पंकज द्वारा उपेक्षा व लापरवाही बरती गई हो। अतः न्यायालय द्वारा किये गये उपर्युक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण से अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध धारा 279, 338 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में विफल प्रकट हुआ है।

23– परिणामतः उपर्युक्त समस्त विवेचन से विचारणीय बिन्दू नकारात्मक रूप में तय किया गया है। अतः अभियुक्त को आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा 279, 338 भारतीय दण्ड संहिता में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित कियो जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–आदेश–

24– एतदद्वारा **अभियुक्त पंकज कुमार पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद, उम्र 23 वर्ष, निवासी बीदसर, पुलिस थाना बलारां, जिला सीकर, राजस्थान** को अपराध अन्तर्गत धारा 279, 338 भारतीय दण्ड संहिता में संदेह का लाभ दिया जाकर **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है। अभियुक्त की ओर से उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत प्रतिभू एवं बंधपत्र एतदद्वारा तत्क्षण भार से उन्मोचित किये जाते है।

25– अभियुक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 (क) के उपबंध के अनुसार स्वयं का 10,000 रूपये का बंधपत्र एवं इसी राशि की प्रतिभू 06 माह की अवधि के लिये न्यायालय की संतुष्टि की पेश करे।

26– प्रकरण में जब्तशुदा वाहन व वाहन कागजात न्यायालय के आदेश से सुपुर्दगी पर दिये गये है, जिनका सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील स्वतः निरस्त समझा जावे। वाहन व कागजात सम्बंधित के पास ही बने रहने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

27– निर्णय व आदेश आज दिनांक **02–04–2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(**सुमन चौधरी**)
न्यायाधिकारी
ग्राम न्यायालय, नवलगढ
जिला झुन्झुनू, राजस्थान।